

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1---खण्ड 2 PART I---Section 2



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 6] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1996/फाल्गुन 1, 1917 No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1996/PHALGUNA 1, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरो, 1996

फा॰ सं॰ ए-12022/4/90-पी ई-1.—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जी॰ एल॰ भगत, भा॰ प्र॰ से॰ (गुजरात : 74) के स्थान पर श्री अशोक चावला, भा॰ प्र॰ से॰ (गुजरात : 73) को 5900-6700/-रू के वेतनमान में उनके कार्य भार संभालने की तारीख से 5 वर्ष की सामान्य अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, कांडला पत्तन न्यास का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

पी॰ कल्याण सुन्दरम, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1996

File No. A-12022/4/90-PE-I.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri Ashok Chawla, IAS (GJ:73) as Chairman, Kandla Port Trust in the pay scale of Rs. 5900–6700 vide Shri G. L. Bhagat, IAS (GJ:74) for a normal tenure of 5 years from the date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

P. KALYANASUNDARAM, Under Secy.

422 GI/96

रजिस्टी सं॰ डी॰एल॰

33004/96

٦.